संख्या ओ० एम०/आर 1—01/77 423 /

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)।

पटना, दिनांक 25 जून, 1977।

विषय :—टिप्पणी अधिसूचना आदि में पदाधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरी के नाम का अंकन।

महोदय,

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि ऐसे बहुतेरे दृष्टान्त दृष्टि में आये हैं जहाँ गजट में प्रकाशित अधिसूचना के नीचे पदाधिकारी के पदनाम के ऊपर उनके नाम छापे नहीं गये है, बल्कि मुद्रणालय द्वारा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से उनके नाम का पता न चलने के कारण नाम की जगह शब्द "अस्पष्ट" (Illegible) छापा गया है। सरकारी लिखत (instruments) के प्रमाणीकरण के लिए प्रमाणीतकृत करनेवाले पदाधिकारी का नाम सुस्पष्ट रहना चाहिये। अतएव यह जरूरी है कि जब कभी कोई अधिसूचना निर्गत की जाय प्रमाणीकृत करनेवाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे उनके पूरे नाम को अंकित किया जाय; ताकि पदाधिकारी की पहचान उससे हो सके। इस प्रसंग में सचिवालय अनुदेश के नियम 6 (44) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. प्रायः यह भी पाया जाता है कि संचिका में अभिलेखित टिप्पणी के नीचे पदाधिकारी का हस्ताक्षर अस्पष्ट रहता है, यद्यपि सचिवालय अनुदेश के नियम 6.16 में यह उपबंधित है कि राजपत्रित पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर में पूरा नाम साफ-साफ लिखेंगे। इस नियम का पालन अधिकतर नहीं किया जाता है। अतएव टिप्पणी में पदाधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे अनिवार्यतः उनका नाम कोष्ठक में टंकित या हाथ से ही अंकित कर देना चाहिये।

3. उपर्युक्त अनुदेश कृपया सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को संसूचित कर दिया जाय।

(शरण सिंह)

मुख्य सचिव, बिहार।

VI—1 SANCTION OF STAFF.

24 (*i*)

Letter no OM/R-2023/57—2022, dated the 24th February 1958, from the Chief Secretary to the Government of Bihar, to the Development Commissioner/all Secretaries to Government/Deputy Secretary, Political Department/Deputy Secretary, Appointment Department.

As you are aware the financial position of the State is far from satisfactory and the departments of Government will need to make concentrated effort for a number of years by practising economy in expenditure before the finances are rehabilitated. As a measure towards rehabilitation it has been decided that for the next three years the work of the departments in Secretariat and attached offices should be carried on with the existing staff and that no new posts should be created. It has also been decided that—

(*a*) no new gazetted post either permanent or temporary should be created unless the creation of such a post is considered absolutely essential. The question whether the creation of a post in any department is essential shall be decided by a Sub-Committee consisting of the Chief Secretary, the Development Commissioner, the Finance Secretary and the